

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5583

02 अप्रैल, 2018 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय इस्पात संस्थान

5583. श्री प्रहलाद सिंह पटेल:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय इस्पात संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है ताकि प्रशिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से इस्पात उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने में मदद मिल सके;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत रखे जाने वाले मुख्य पाठ्यक्रम तथा अनुसंधानगत अध्ययन का ब्यौरा क्या है और इसके कब तक प्रचालन में आने की संभावना है; और
- (ग) भारतीय इस्पात उद्योग के समक्ष विद्यमान मुख्य चुनौतियों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री विष्णु देव साय)

(क): जी नहीं।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): भारतीय इस्पात उद्योग इस्पात के प्रमुख उत्पादनकर्ता देशों द्वारा विगत में इस्पात की डंपिंग किए जाने के कारण कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। अप्रैल, 2014 से दिसंबर, 2015 के दौरान विश्वस्तर पर माँग में कमी होने और अत्यधिक क्षमता की उपलब्धता होने के परिणामस्वरूप इस्पात की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में ऐतिहासिक कमी आई है।

आयातों से घरेलू इस्पात की कीमतें और घरेलू इस्पात उत्पादकों की व्यवहार्यता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी। कीमतों में गिरावट से इस्पात के घरेलू उत्पादकों को बिक्री से कम प्राप्ति हुई है।

इस्पात का उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए उठाए गए सुधारात्मक कदम

- भारत सरकार ने घरेलू इस्पात निर्माताओं के हितों को सुरक्षित रखने तथा समान अवसर प्रदान करने के लिए कई व्यापारिक उपचारी उपाय किए हैं, यथा- एंडी डंपिंग ड्यूटी (एडीडी), काउंटर-वेलिंग ड्यूटी (सीवीडी), सेफगार्ड ड्यूटी (एसडी), गुणवत्ता नियंत्रण आदेश इत्यादि।
- राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 लागू की गई है जिसके अंतर्गत इस्पात निर्माण की घरेलू क्षमता को वर्ष 2030-31 तक 300 एमटी करने की परिकल्पना की गई है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है।
- घरेलू इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से अवसंरचना, आवास निर्माण और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए सरकारी खरीद में घरेलू निर्मित लोहा और इस्पात उत्पादों को वरीयता प्रदान करने की एक नीति लागू की गई है।
- पब्लिक/पीपीपी परियोजनाओं में डिजाइन और विनिर्देशन तैयार करते समय संपूर्ण कार्यशील जीवन लागत के विश्लेषण का समावेशन करने के लिए जीएफआर दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया है।
